256

364

न्यायालय श्रीमान, राजस्व ... ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा म0प्र0

R. 5274-दो/16

सतिलिया पटेल पुत्री दीनबन्धु पटेल पत्नी ... पटेल ग्राम समरादेश तह0- गुढ़ जिला रीवा म0प्र0------ आवेदिका/ निगरानीकर्ता

बनाम

(1) राजभान पिता दीनबन्धु पटेल

(2) ~~भागीरथी तनय~~ मदुकधारी पटेल

(3) रामप्रकाश तनय मंगलप्रसाद पटेल

(4) पारसनाथ पटेल तनय श्री रामप्रताप काछी सभी निवासी ग्राम समरादेश तह0- गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 --- अना0/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह0- गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 आदेश दिनांक 27/5/16 प्र0क्र0 82/अ6अ/13-14 राजभान विरुद्ध सतिलिया एवं अन्य।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0।

आवेदिका सतिलिया पटेल द्वारा व्यक्त पेश किया
22.6.16

22.6.16
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है:---

(1) यहकि न्यायालय श्रीमान, अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0- गुढ़ जिला रीवा के समक्ष प्र0क्र0 82/अ6अ/13-14 राजभान वि0 सतिलिया एवं अन्य लम्बित है जिसकी आगामी तिथि 21.6.16 नियत है।

(2) यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता क्र0 1 द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 44(1) म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की राजभान वि0 सतिलिया एवं अन्य प्रस्तुत किया।

(3) यहकि उक्त अपील राजभान वि0 सतिलिया एवं अन्य न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय गुढ़ द्वारा प्र0क्र0 20/अ6अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 6/9/13 से दुखित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

(256)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग0 / 5274– II / 2016 जिला–रीवा

सतिलिया पटेल / राजभान पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्ददास शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ के प्रकरण क्रमांक 82 / अ–6–अ / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	